



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 577/26 धारा 109(1)/351(2) बी.एन.एस में वाँछित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार , जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मो0सा0 टीवीएस बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.09.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी शब्बीर पुत्र रसीद अहमद निवासी ग्राम नौरोजपुर गुर्जर, थाना व जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त आरिष पुत्र मौजूदीन निवासी ग्राम नौरोजपुर गुर्जर, थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र खालिद उम्र करीब 30 वर्ष पर जान से मारने की नियत से फायर किया , जिससे वह घायल हो गया तथा अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 577/2026 धारा 109(1)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के कुशल निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 577/26 धारा

109(1)/351(2) बी.एन.एस में वाँछित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मो0सा0 टीवीएस बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1- आरिष पुत्र मौजूदीन निवासी नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत । (घायल अवस्था में)

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर ।
- 01 मो0सा0 टी0वी0एस0 बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार अभियुक्त आरिष पुत्र मौजूदीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 577/26 धारा 109(1)/351(2) बी.एन.एस थाना कोतवाली बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 551 छत्रपाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5- है0का0 264 वेदपाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6- है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7- है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8- का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 04-09-2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 110/26 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 4000 रुपये नगद व वादी का आधार कार्ड बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.09.26 को थाना चांदीनगर पर वादी मौ० गुलफाम पुत्र मीरहसन निवासी बाबू गंज मण्डी नई बस्ती, अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि गाडी नं० DL 4CBC 5339 (ग्रांड आई-टेन) में सवार व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा अपने आप को पुलिस वाला बताकर वादी की तलाशी लेना और वादी की जेब में रखे 4400/- रुपये व वादी का आधार कार्ड चुराकर भाग जाना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु०अ०सं० 110/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 126/2026 धारा 303(2) बीएनएस में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त शिवम कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 4000 रुपये नगद व वादी का आधार कार्ड बरामद हुआ है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गयी अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवम कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी नेहरू बिहार, दयालपुर करावल नगर रोड थाना दयालपुर नार्थ ईस्ट दिल्ली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिग्विजय सिंह राजपूत - थाना चांदीनगर जनपद बागपत
2. रि0का0 550 अनीश परमार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत
3. रि0का0 547 रामनिवास बघेल - थाना चांदीनगर जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 04.09.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 210/2026 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/132/351(3) बी0एन0एस0 व 07 सीएल एक्ट वृद्धि धारा 115(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 09 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अभियुक्त जावेद उर्फ मोना के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिंदा 01 खोखा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.09.2026 को थाना छपरौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ककौर कला में प्रथम पक्ष के 1.दाऊद पुत्र नाजर, 2.आजाद पुत्र नाजर, 3.अब्बास पुत्र नाजर, 4.कौसर पुत्र नाजर 5.जावेद उर्फ मोना पुत्र नाजर, 6.सयूब पुत्र अय्यूब व 7.इस्तियार पुत्र अय्यूब निवासीगण



ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत तथा द्वितीय पक्ष के 1.साजिद पुत्र हनीफ, 2.आसिफ पुत्र साजिद, 3. जुनैद पुत्र साजिद, 4.गुलफाम पुत्र शरीफ, 5.गुलजार पुत्र शरीफ व 6.समीर पुत्र शौकीन निवासीगण ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत व दोनों पक्षों के 20-25 पुरुष व महिला अज्ञात द्वारा एक दूसरे पर लाठी डण्डे तथा धारदार हथियारों से जानलेवा हमला व पथराव किया जा रहा है जिस कारण गाँव में अफरा तफरी का माहोल हो गया है तथा दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की जा रही है । उक्त सूचना पर

थाना छपरौली पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए घटनास्थल पर पहुंच कर दोनों पक्षों को शांत कराया गया तथा घायलों का मेडिकल करवाया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 210/26 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/132/351(3) बी0एन0एस0 व 07 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में धारा 115(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 210/26 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/132/351(3) बी0एन0एस0 व 07 सीएल एक्ट में वांछित 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से अभियुक्त जावेद उर्फ मोना के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिंदा 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया। थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1 कौसर पुत्र नाजर निवासी ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत
2. इस्तिहार पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत
3. रोजुद्दीन पुत्र सलीमू निवासी ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत
4. आमिर पुत्र तय्यब निवासी ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत
5. नहीम पुत्र तय्यब निवासी ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत
6. साजिद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत
7. समीर पुत्र शौकीन निवासी ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत
8. अनीश पुत्र शरीफ निवासी ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत
9. जावेद उर्फ मोना पुत्र नाजर निवासी ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना छपरौली।
- 2-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना छपरौली।
- 3-उ0नि0 श्री कमल सिंह थाना छपरौली।
- 4-है0का0 440 राशिद थाना छपरौली।
- 5-है0का0 708 कपिल वर्मा थाना छपरौली।
- 6-है0का0 300 महमूद थाना छपरौली।
- 7-है0का0 757 प्रतीश थाना छपरौली।
- 8-का0 511 धर्मेन्द्र थाना छपरौली।
- 9-का0 137 राजकुमार थाना छपरौली।
- 10-रि0का0 363 अमन शर्मा थाना छपरौली।
- 11-रि0का0 473 रवि कुमार थाना छपरौली।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 04.09.2026

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 290/2026 धारा 333/74/131 बीएनएस में वांछित
01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 290/2026 धारा 333/74/131 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिल पुत्र सलीम निवासी पट्टी मादान
करबा व थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 पुष्पराज विश्रोई थाना दोघट जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 प्रान्शु राजपूत थाना दोघट जनपद बागपत
- 3-है0का0 289 शैलेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-04.09.2026

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 बोरी में निर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 15 किलो 200 ग्राम बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध पटाखों की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 02 बोरी में निर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 15 किलो 200 ग्राम बरामद किये गये हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मुस्तकीम पुत्र नाजर उम्र करीब 40 वर्ष निवासी पट्टी तिरोसिया कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत
2. इरफान पुत्र अनवर उम्र करीब 54 वर्ष निवासी पट्टी तिरोसिया कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 02 बोरी में निर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 15 किलो 200 ग्राम बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत
- 2-उ0ान0 पुष्पराज विश्वाइ थाना दोघट जनपद बागपत

3-उ0नि0 प्रान्शू राजपूत थाना दोघट जनपद बागपत
4-है0का0 289 शैलेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत
5-एचजी 419 दिनेश राठी थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 04-09-2026

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ने गुमशुदा 02 नाबालिग लडकियों को रेलवे स्टेशन गाजियाबाद से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा 02 नाबालिग लडकियों को रेलवे स्टेशन गाजियाबाद से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।



परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम
- 2- मिशन शक्ति टीम थाना सिंघावली अहीर